न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3800–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–9–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मानपुर जिला उमरिया प्रकरण कमांक 2/अपील/2013–14.

1. मदन आत्मज बारे नाई
2. रामखेलावन पिता पती नाई
3. हीरालाल आत्मज रग्घु नाई
   सभी निवासी गोबर्दे थाना,तहसील मानपुर
   जिला उमरिया म0प्र0

–––––आवेदकगण

विरूद्ध

1. गोरेलाल आत्मज रग्धू नाई
2. रज्जू आत्मज विशेषर नाई
3. गुलाबबाई आत्मज विशेषर नाई
4. रम्मा नाई आत्मज विशेषर नाई
   सभी निवासी गोबर्दे थाना,तहसील मानपुर
   जिला उमरिया म0प्र0

–––––अनावेदकगण

– – – – – – –

श्री सुशील कुमार शुक्ला, अभिभाषक, आवेदकगण

– – – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 03 नवम्बर 2015)

– – – – – –

आवेदकों द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी मानपुर जिला उमरिया के आदेश दिनांक 04–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि मौजा गोबर्दे तहसील मानपुर जिला उमरिया स्थित आराजी कमशः खसरा नं0 299/4 रकबा 0.012 है0, 359 रकबा 0.089 है0, 426/4 रकबा 0.115 है0, 426/3 रकबा 0.041 है0, 615 रकबा 0.182 है0, 616 रकबा 0.190 है0, 778 रकबा 0.154 है0 ,1290 रकबा 0.138 है0 एवं 1060 रकबा 0.458 है0 भूमि आवेदकगण व अनावेदकगण के सहस्वामित्व की पैत्रिक भूमियां है वर्ष 2009–10 तक उक्त आराजियात सुखनन्दन, लछिमिनिया गोरे, गुलाब, रज्जू, माधव केशव, रम्मा, रामलखन, बूटी, मदन मोहन व छोटे के सह भूमिस्वामित्व की आराजी है। उभय पक्ष एक ही परिवार के सदस्य है जिनके बीच सन् 2010 में पृथक–पृथक पंजी के अनुसार परिवार के सभी हिस्सेदारों के मध्य नामांतरण बटवारा बैधानिक रूप से किया गया, उसी दौरान विभाजन के जरिये पंजी कमांक 21 दिनांक 27–7–2010 के आधार पर आवेदकगण को भी आराजी प्राप्त हुई तथा सभी की सहमति व जानकारी में सभी हिस्सेदारों का खाता निर्मित हुआ। राजस्व अभिलेख दुरूस्त कराया जाकर अपने–अपने हिस्से की भूमियों में काबिज है। पारिवारिक विवाद के कारण अनावेदकगण आवेदकगणों से रंजिश मानने लगे और आवेदकगण को परेशान करने व क्षति पहुंचाने की दृष्टि से आपसी सहमति व जानकारी में कराये गये नामांतरण व बटवारा आदेश की विरूद्ध 2 वर्ष 7 माह बाद विधिवत रूप से पक्षकार बनाये बिना गलत तथ्यों का आधार लेकर अनुविभागीय अधिकारी मानपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की तथा अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 04–9–2014 के द्वारा बिना समुचित व पर्याप्त कारण के म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन को स्वीकार कर अगली कार्यवाही प्रारंभ कर दी। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की है उसमें सभी हिस्सेदारों एवं सहस्वामियों को पक्षकार नहीं बनाया है। विचाराधीन अपील पक्ष्झकारों के कुसंयोजन के कारण चलने योग्य नहीं है। यह भी तर्क किया कि आपसी बटवारे एवं नामांतरण की कार्यवाही वर्ष 2010 में सहमति एवं रजामन्दी से की गई थी तथा अनावेदकों द्वारा समय–सीमा में कोई आपत्ति नहीं की गई और न ही अपील की गई बल्कि आदेश के 2 वर्ष 7 माह अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि नामांतरण बटवारा की कार्यवाही सभी सहभूमिवामियों के आपसी सहमति व रजामन्दी से की गई थी ऐसे आदेश को अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस ओर भी अनुविभागीय अधिकारी ने ध्यान न देकर अपील को सुनवाई हेतु ग्राह्य करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के सत्यापित प्रति अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकों ने नामांतरण पंजी कमांक 11 आदेश दिनांक 27–7–2010 के विरूद्ध 29–10–2013 को अपील प्रस्तुत की गई जिसपर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अनावेदकों को भूमिस्वामी एवं हितबद्ध पक्षकार होने से विधिवत सुनवाई का अवसर न्यायहित में देने हेतु धारा 5 का आवेदन ग्राह्य किया है। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समय–सीमा में माना है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण अपने तर्कों के समर्थन में ऐसे

कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके जिससे अनावेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य माना जा सके। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश में कोई अवैधानिकता प्रथमदृष्टया परिलक्षित नहीं होती है। अतः निगरानी अग्राह्य की जाती है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर